कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, लाडपुर रिंग रोड, देहरादून
E-mail : infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष : 0135–2662971 / फैक्स : 2662334

पत्रांकः /सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–33/2011 दिनांक : 23 दिसम्बर, 2022

## कार्यालय–आदेश

तात्कालिक प्रभाव से सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के समूह 'घ' के निम्नांकित कार्मिकों को, नियमानुसार श्रेष्ठताक्रम में चयनोपरान्त, समूह 'ग' के कनिष्ठ सहायक, वेतन लेवल–3, वेतनमान ₹ 21700–69100, के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति करते हुए दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है :–

1. श्री धर्मेन्द्र कुमार
2. श्री राम सिंह परजोली
3. श्री गजेन्द्र सिंह नेगी

2. उपरोक्त कार्मिक विभाग के प्रशासन प्रभाग में तत्काल अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। जिनके कार्य आवंटन/स्थानान्तरण के आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

3. उक्त पदोन्नति अस्थाई है। यदि भविष्य में उत्तर प्रदेश से उत्तराखण्ड राज्य के लिए आवंटित समूह 'घ' के पात्र वरिष्ठ कार्मिकों द्वारा सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यभार ग्रहण किया जाता है तो उपरोक्त कार्मिकों को उनके मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

(बंशीधर तिवारी)
महानिदेशक

संख्या–(1) 1236 /सू.एव.लो.स.वि.(प्रशा.)–33/2011, तददिनांकित्
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकर, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. मुख्य कोषाधिकारी, साइबर ट्रेजरी, कोषागार निदेशालय, देहरादून को लेखा प्रभाग के माध्यम से।
3. लेखा प्रभाग, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित कार्मिकों को।
5. सम्बन्धित कार्मिकों की निजी पत्रावली हेतु।
6. विभागीय वेबसाईट हेतु।

(डॉ. अनिल चंदोला)
अपर निदेशक

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
'सूचना भवन' लाडपुर रिंग रोड, देहरादून
E-mail : infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष: 0135–2662971 / फैक्स: 2662334

पत्रांक : /सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–05/2018 दिनांक 18 जुलाई, 2022

## कार्यालय आदेश

'उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या: 01, वर्ष 2018)', की धारा–16 के अनुसार गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर सूचना निदेशालय में तैनात सहायक लेखाकार, श्री कीर्ति सिंह पंवार को जिला सूचना कार्यालय, उत्तरकाशी में रिक्त सहायक लेखाकार के पद पर स्थानान्तरित किया जाता है।

2. उपरोक्त स्थानान्तरण, स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–13,17(1)(ख) एवं 18 के अन्तर्गत अनुरोध के आधार पर किया जा रहा है। अतः उपरोक्त स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

3. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

4. श्री पंवार को उनके पटल पर लम्बित कार्यों को पूर्ण करने के उपरान्त कार्यमुक्त किया जायेगा।

(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक

संख्या: 641 (1)/सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–05/2018, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. विशेष प्रमुख सचिव सूचना, उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
3. मुख्य कोषाधिकारी, उत्तरकाशी।
4. जिला सूचना अधिकारी, उत्तरकाशी।
5. समस्त विभागीय अधिकारी/कर्मचारी/प्रभाग/शाखायें, मुख्यालय।
6. सम्बन्धित कार्मिक को।
7. संबंधित कार्मिक की निजी पत्रावली हेतु।
8. नोटिस बोर्ड हेतु/विभागीय वेबसाइट हेतु।

(डॉ. अनिल चन्दोला)
अपर निदेशक

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
74/1 राजपुर रोड, गढ़वाल मण्डल विकास निगम परिसर, देहरादून
E-mail: infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष: 0135-2742223/फैक्स: 2742226

पत्रांक: 547 /सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)-05/2009 दिनांक 24 जून, 2022

## कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन, सूचना अनुभाग के पत्र संख्याः 212/XXII/2022-01(02)2016, दिनांक 23 जून, 2022 के माध्यम से प्राप्त उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्र संख्याः 83/02/ई-1/डी.पी.सी./2022-23, दिनांक 15 जून, 2022 द्वारा चयन वर्ष 2021-22 में विभागीय पदोन्नति कोटे के पदों पर किये गये चयन की संस्तुति के आधार पर सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नांकित 02 अनुवादकों तथा 08 अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारियों को सूचना अधिकारी/जिला सूचना अधिकारी के रिक्त पद, वेतन लेवल-7, वेतनमान ₹ 44900-142400 पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत करते हुए दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है:-

1. कु. दीपा रानी गौड़
2. श्री दिनेश कुमार
3. श्री गोविन्द सिंह बिष्ट
4. श्री गिरिजा शंकर जोशी
5. श्री अजनेश राणा
6. श्री मनोज कुमार सती
7. श्री वीरेन्द्र सिंह राणा
8. श्रीमती ज्योति सुन्दरियाल
9. श्री अहमद नदीम
10. कु. जानकी देवी

उपरोक्त पदोन्नत कार्मिक वर्तमान तैनाती जनपद/कार्यालय में ही अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। इनके स्थानान्तरण/अन्यत्र तैनाती के आदेश यथाआवश्यकता/नियमानुसार बाद में निर्गत किये जायेंगे।

(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक

संख्या 547 (1)/सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)-05/2009, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार को उनके पत्र संख्याः 83/02/ई-1/डी.पी.सी./2022-23, दिनांक 15 जून, 2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
3. विशेष प्रमुख सचिव सूचना, उत्तराखण्ड शासन, सूचना अनुभाग को शासन के पत्र संख्याः 212/XXII/2022-01(02) 2016, दिनांक 23 जून, 2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिलाधिकारी, बागेश्वर, चम्पावत, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, उधमसिंह नगर, पिथौरागढ़।
5. मुख्य कोषाधिकारी, बागेश्वर, चम्पावत, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, उधमसिंह नगर, पिथौरागढ।
6. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, कोषागार निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को लेखा प्रभाग के माध्यम से।
7. उपनिदेशक, राजभवन सूचना परिसर, उत्तराखण्ड।
8. प्रभारी, मीडिया सेंटर, हल्द्वानी, नैनीताल।
9. लेखा प्रभाग, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. समस्त विभागीय अधिकारी/प्रभाग/कार्यालय (मुख्यालय एवं क्षेत्र प्रचार अधिष्ठान)।
11. जिला सूचना कार्यालय, बागेश्वर, चम्पावत, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, उधमसिंह नगर, पिथौरागढ़।
12. संबंधित कार्मिकों को ।
13. संबंधित कार्मिकों की निजी पत्रावली हेतु।
14. विभागीय वेबसाइट हेतु।

24/6

(डॉ. अनिल चन्दोला)
अपर निदेशक

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
'सूचना भवन' लाडपुर रिंग रोड, देहरादून
E-mail: infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष: 0135–2662971 / फैक्स: 2662334

पत्रांक: /सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–17/2010 दिनांक 20 ~~अप्रैल~~ मई, 2022

## कार्यालय–आदेश

विभागीय कार्यालय आदेश संख्या: 382/सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–17/2010दिनांक 04 मई, 2022 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नांकित कार्मिकों के मध्य निम्नानुसार कार्य आवंटित किया जाता है:–

| क्र.सं. | कार्मिक का नाम एवं पदनाम | तैनाती प्रभाग /शाखा का नाम | आवंटित कार्य |
|---|---|---|---|
| 01 | श्री चेतन कुमार पाण्डेय<br>प्रधान सहायक | प्रशासन प्रभाग | 1. मुख्यालय एवं क्षेत्र प्रचार के अन्तर्गत वाहन चालक तथा समूह 'घ' के अधिष्ठान से सम्बन्धित समस्त कार्य।<br>2. विभिन्न महानुभावों को आपूर्ति किये जाने वाले समाचार पत्र/पत्रिकाओं के बीजकों का भुगतान तथा मीडिया सलाहकार समिति से सम्बन्धित समस्त कार्य।<br>3. आउटसोर्सिंग (उपनल, पीआरडी एवं अन्य) के माध्यम से तैनात कार्मिकों की नियुक्ति एवं भुगतान से सम्बन्धित समस्त कार्य।<br>4. चरित्र प्रविष्टियों को ऑनलाईन अंकन करने संबंधी समस्त कार्य<br>5. राष्ट्रीय समारोह से सम्बन्धित समस्त कार्य।<br>6. अपने पटल से संबंधित सूचना अधिकार एवं मुकदमों से संबंधित समस्त कार्य तथा समय–समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य। |
| 01 | श्रीमती विदीशा नेगी<br>वरिष्ठ सहायक | सोशल मीडिया प्रभाग | 1. सोशल मीडिया से सम्बन्धित श्रेणी 'ए' के न्यूज पोर्टलों के क्र. सं. 01 से क्र.स. 237 तक के पोर्टलों के भुगतान से सम्बन्धित कार्य।<br>2. अपने पटल से संबंधित सूचना अधिकार एवं मुकदमों का समस्त कार्य।<br>3. समय–समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य। |

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डॉ. अनिल चन्दोला)
अपर निदेशक

संख्या: 437(1)/सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–17/2010, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
2. समस्त विभागीय अधिकारी/प्रभाग/शाखायें, मुख्यालय।
3. संबंधित कार्मिकों को।
4. संबंधित कार्मिकों की निजी पत्रावली हेतु।
5. विभागीय वेबसाइट हेतु।

(डॉ. अनिल चन्दोला)
अपर निदेशक

Scanned with CamScanner

तत्काल / महत्वपूर्ण


उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
'सूचना भवन' लाडपुर रिंग रोड, देहरादून
E-mail: infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष: 0135–2662971 / फैक्सः 2662334


पत्रांकः 423 / सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–11 / 2003 दिनांक 13 मई, 2022

## कार्यालय आदेश

चारधाम यात्रा व अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के प्रचार–प्रसार एवं मीडिया से वेहतर समन्वय हेतु सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नांकित कार्मिकों को शासकीय कार्यहित / जनहित में, उनके नाम के सम्मुख कालम–4 में अंकित कार्यालय में अग्रिम आदेशों तक स्थानान्तरित / तैनात किया जाता है:–

| क्र.सं. | कार्मिक का नाम एवं पदनाम | वर्तमान तैनाती कार्यालय का नाम | नवीन तैनाती कार्यालय का नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | श्री सुरेश कुमार, **अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी** | जिला सूचना कार्यालय, चमोली। | जिला सूचना कार्यालय, उत्तरकाशी। |
| 2. | श्री रवेन्द्र सिंह **अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी** | जिला सूचना कार्यालय, पिथौरागढ। | जिला सूचना कार्यालय, चमोली। |
| 3. | सुश्री जानकी देवी **अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी** | जिला सूचना कार्यालय, उत्तरकाशी। | जिला सूचना कार्यालय, पिथौरागढ़। |

2. उपरोक्त कार्मिक बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये तत्काल संबंधित जनपद में कार्यभार ग्रहण कर तद्संबंधी सूचना अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।

3. उपरोक्त कार्मिकों को नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

3 यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगा।

(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक

**संख्याः 423 (1) / सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–11 / 2003, तद्दिनांकित।**
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख वरिष्ठ निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री को मा. मुख्यमंत्री / मा. सूचना मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. विशेष प्रमुख सचिव, सूचना, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल / कुमाऊ।
4. जिलाधिकारी, चमोली / उत्तरकाशी / पिथौरागढ़ को इस अनुरोध के साथ कि संबंधित कार्मिकों को नवीन तैनाती हेतु तत्काल कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
5. मुख्य कोषाधिकारी, चमोली / उत्तरकाशी / पिथौरागढ़।
6. जिला सूचना अधिकारी, चमोली / उत्तरकाशी / पिथौरागढ़।
7. लेखा प्रभाग को।
8. संबंधित कार्मिकों को।
9. संबंधित कार्मिकों की निजी पत्रावली हेतु।
10. विभागीय वेबसाइट हेतु।

(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक

Scanned with CamScanner

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, लाड़पुर रिंग रोड़ देहरादून
mail : infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष : 0135–2662971 / फैक्स : 2662334

पत्रांक : ५१५ / सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–06 / 2003 दिनांक 12 मई, 2022

## कार्यालय–आदेश

वर्तमान में चारधाम यात्रा एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के दृष्टिगत विभाग के समस्त अधिकारी / कर्मचारियों को दिनांक 30 जून, 2022 तक अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर अर्जित अवकाश / दीर्घकालीन अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। पूर्व में किसी कार्मिक को दीर्घकालीन अवकाश स्वीकृत किया गया है तो वह स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक

पत्रांक :५१५ / सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–06 / 2003, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
2. समस्त अधिकारी / कर्मचारी, सूचना मुख्यालय।
3. उप निदेशक / प्रभारी, राजभवन सूचना परिसर, उत्तराखण्ड।
4. उप निदेशक / प्रभारी, मा.मुख्यमंत्री प्रचार यूनिट।
5. उप निदेशक / प्रभारी, मीडिया सेन्टर, विधान सभा, देहरादून।
6. सहायक निदेशक / प्रभारी, जिला सूचना कार्यालय,देहरादून।
7. सहायक निदेशक / प्रभारी, मीडिया सेन्टर, हल्द्वानी, नैनीताल।
8. विशेष कार्याधिकारी, सूचना, राज्य सूचना केन्द्र नई दिल्ली।
9. समस्त जिला सूचना अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. विभागीय वेबसाइट हेतु।
11. कार्यालय प्रति।

(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक

Scanned with CamScanner

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
74/1 राजपुर रोड, गढ़वाल मण्डल विकास निगम परिसर, देहरादून
E-mail: infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष: 0135-2742223/फैक्स: 2742226

पत्रांक: /सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)-05/2009 दिनांक 05 अप्रैल 2022

## कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन, सूचना अनुभाग के पत्र संख्या: 94/XXII/2022-01(02)/2016, दिनांक 23 मार्च, 2022 के माध्यम से प्राप्त उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्र संख्या: 197/05/ई-1/डी.पी.सी./2021-22, दिनांक 02 मार्च, 2022 द्वारा चयन वर्ष 2021-22 में विभागीय पदोन्नति कोटे के सूचना अधिकारी/जिला सूचना अधिकारी के रिक्त 01 पद पर पदोन्नति हेतु किये गये चयन/संस्तुति के आधार पर सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के अनुवादक, श्री प्रमोद चन्द्र तिवारी को जिला सूचना अधिकारी, हरिद्वार के रिक्त पद, वेतन लेवल-7, वेतनमान ₹ 44900-142400 पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत करते हुए दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है।

श्री प्रमोद चन्द्र तिवारी तत्काल उक्त पद पर अपना कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।

(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक

संख्या 288 (1) /सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)-05/2009, तददिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार को उनके पत्र संख्या: 197/05/ ई-1/डी.पी.सी./2021-22, दिनांक 02 मार्च, 2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
3. सचिव सूचना, उत्तराखण्ड शासन, सूचना अनुभाग-2 को उनके पत्र संख्या: 94/XXII/2022-01(02)/2016, दिनांक 23 मार्च, 2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
6. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, कोषागार निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को लेखा प्रभाग के माध्यम से।
7. लेखा प्रभाग, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. समस्त विभागीय अधिकारी/प्रभाग/कार्यालय (मुख्यालय एवं क्षेत्र प्रचार अधिष्ठान)।
9. जिला सूचना कार्यालय, हरिद्वार।
10. संबंधित कार्मिक।
11. संबंधित कार्मिक की निजी पत्रावली हेतु।
12. विभागीय वेबसाइट हेतु।

5/4
(डॉ. अनिल चन्दोला)
अपर निदेशक

स्पीड पोस्ट

उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
'सूचना भवन' लाडपुर रिंग रोड, देहरादून
E-mail: infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाषः 0135–2662971 / फैक्सः 266233

पत्रांकः /सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–07/2005 दिनांक 23 मार्च, 202

## कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून के पत्र संख्याः 420, दिनांक 07.02.2022 के माध्यम से प्राप्त संस्तुति के आधार पर चयनित श्री राजीव कोली, (अनुक्रमांक–2402000094, अनुसूचित जाति) पुत्र श्री हरीराम कोली, ग्राम–नन्दपुर, कम्पाउण्ड रामनगर, नैनीताल, उत्तराखण्ड को सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड में संवीक्षक के पद, लेवल–5, ₹29200–92300 (पूर्व वेतनमान ₹5200–20200, ग्रेड वेतन ₹2800) पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है:–

1. उपरोक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है और किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है। यदि स्वास्थ्य परीक्षण अथवा चरित्र एवं प्राग्वृत सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो यह नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।
2. उपर्युक्त अभ्यर्थी संवीक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेगा।
3. उपर्युक्त अभ्यर्थी को तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा।
4. उपर्युक्त अभ्यर्थी को शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत/देय मंहगाई एवं अन्य भत्ते भी अनुमन्य होंगे।
5. उपर्युक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्नलिखित प्रमाण–पत्र/प्रपत्र भी प्रस्तुत करने होंगेः–
   1. अधिकृत शासकीय चिकित्सक का स्वस्थता प्रमाण–पत्र।
   2. समस्त चल–अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा, जिसका वह स्वामी हो।
   3. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन अब तक की गई सेवा के संबंध में घोषणा–पत्र तथा संघ अथवा राज्य की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण–पत्र।
   4. वैवाहिक स्थिति। यदि विवाहित है तो एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने की घोषणा/शपथ–पत्र।
   5. दो राजपत्रित ऐसे अधिकारी, जो सकिय सेवा में हों, किन्तु उनके संबंधी न हों, के द्वारा जारी चरित्र प्रमाण–पत्र।
   6. अंतिम स्कूल अथवा संस्था का चरित्र प्रमाण–पत्र।
   7. किसी न्यायालय में कोई अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध में एक घोषणा पत्र।
   8. समस्त शैक्षिक योग्यता से संबंधित प्रमाण–पत्र, उत्तराखण्ड में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में जीवित पंजीकरण से संबंधित प्रमाण–पत्र, लागू आरक्षण श्रेणी/उप आरक्षण श्रेणी से संबंधित प्रमाण–पत्र तथा केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अभ्यर्थी होने की स्थिति में संबंधित विभाग द्वारा देय अनापत्ति प्रमाण–पत्र की प्रति।
   9. लिखित रूप में एक "under taking" कि यदि पुलिस सत्यापन, चरित्र प्राग्वृत सत्यापन तथा चिकित्सा परीक्षण के पश्चात उसे सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त नही पाया जाता है तो यह नियुक्ति निरस्त समझी जाए। जिसके लिए वह किसी क्षतिपूर्ति का हकदार नही होगा।
   10. चरित्र एवं प्राग्वृत सत्यापन फार्म आदि भरकर (संलग्न)।

संबंधित अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की तिथि से एक माह के अन्दर महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, सूचना भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून के कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। उक्त निर्धारित अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में यह मान लिया जायेगा कि उसे नियुक्ति स्वीकार्य नहीं है और उसके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जायेंगे।

**संलग्नः**– यथोपरि।

(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक

संख्याः 249(1) सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–07/2005, तददिनांकित।

**प्रतिलिपि** निम्मांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. सचिव सूचना, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून को उनके पत्र संख्याः 420 दिनांक 07.02.2022 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।
4. समस्त क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. वरिष्ठ वित अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, कोषागार निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून को लेखा प्रभाग के माध्यम से।
6. लेखा प्रभाग, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. संबंधित अभ्यर्थी को।
8. संबंधित अभ्यर्थी की निजी पत्रावली हेतु।
9. विभागीय वेबसाइट हेतु।

21.3.2022

(डॉ. अनिल चन्दोला)
अपर निदेशक